न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर 44

समक्ष – एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2029–दो/2011 – विरूद्व – आदेश दिनांक 11–11–11 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण कमांक 99/2009–10 निगरानी

1– श्रीमती पुष्पा पत्नि रामगोपाल

2– श्रीमती निर्मला पत्नि ओमप्रकाश

जाति राठौर निवासी मण्डी रोड

अशोकनगर तहसील व जिला अशोकनगर ———आवेदकगण

विरूद्व

श्रीमती ओमवती पत्नि विष्णु रघूवँशी निवासी

गणेश कालोनी अशोकनगर ———अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री अनिल मॅगा)

आ दे श

(आज दिनांक 3 – 10 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 99/09–10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11–11–2011 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने तहसीलदार अशोकनगर के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 115/116 के

अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत बताया कि महिला ओमवती ने ग्राम पड़रिया स्थित भूमि सर्वे नंबर 301/2'क' श्रीमती सुशीला देवी पत्नि जीवन जैन निवासी चन्देरी से कय की है और यह भूमि आवेदकों की भूमि से लगी हुई है । इस भूमि का पटवारी एंव राजस्व निरीक्षक ने गलत ढंग से बटांकन कर दिया है एंव अनावेदक को अनुचित लाभ पहुंचाया है इसलिये बटांकन निरस्त किया जाय। तहसीलदार अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 9 अ—3/1988—99 पंजीबद्ध किया तथा सुनवाई कर आदेश दिनॉक 4—8—2009 से बटॉकन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर अशोकनगर के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 48/2008—09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22—12—2009 से तहसीलदार का आदेश दिनांक 4—8—2009 निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 99/09—10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11—11—11 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार अशोकनगर के समक्ष आवेदकगण ने यह लिखकर आवेदन त्रृटिपूर्ण अपलेखन सुधार कराने हेतु दिया है —

" आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 115, 116 म0प्र0भू रा0 सं0 1959 "

अतएव तहसीलदार व्दारा प्रकरण कमांक 9 अ—3/1988—99 में पारित आदेश दिनॉक 4—8—2009 इन्हीं धाराओं के अंतर्गत पारित किया है । प्रकरण के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि तहसीलदार ने उक्तादेश से राजस्व निरीक्षक व्दारा दिनांक 18—9—2008 को ग्राम पड़रिया स्थित भूमि सर्वे क0 301/1 क एंव सर्वे क0 301/2 ख का किया गया बटॉकन एंव नक्शा में किए गये संशोधन को

निरस्त किया है, जिसके विरूद्व अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी हुई है और अपर कलेक्टर ने तहसीलदार के आदेश दिनांक 4—8—2009 को इस आधार पर निरस्त किया है कि जब तहसीलदार के समक्ष इसी विषयवस्तु का प्रकरण कमांक 3 अ 3/2008—09 चल चुका है एंव आदेश दिनांक 27—4—2009 से निराकृत हो चुका है तथा इस आदेश के विरूद्व अपील/निगरानी न होने से अंतिम रूप लेने के कारण पुनः उसी विषय वस्तु पर उन्हीं पक्षकारों के बीच नये सिरे से प्रकरण कमांक 9 अ—3/1988—99 पंजीबद्व करके कार्यवाही करने में तहसीलदार ने त्रृटि की है। अपर कलेक्टर अशोकनगर के आदेश दिनांक 22—12—09 से निकाला गया यह निष्कर्ष सही है तथा अपर आयुक्त ने भी आदेश दिनांक 11.11.11 से अपर कलेक्टर के आदेश को पुष्टिकृत करने में त्रृटि नहीं की है किन्तु निगरानी न्यायालयों का यह भी दायित्व है कि उन्हें यह देखना चाहिये था कि क्या राजस्व निरीक्षक को नक्शा में बटा नंबर डालने एंव नक्शा में नवीन प्रविष्टि अंकित कर नक्शा सँशोधित करने की शक्तियॉ हैं। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 107 के अंतर्गत बंदोवस्त के समय बंदोवस्त अधिकारी एंव बंदोवस्त समाप्ति उपरांत कलेक्टर इस धारा के अंतर्गत नक्शा दुरूस्ती करने हेतु सक्षम हैं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 68 सहपठित 70 के अंतर्गत सर्वे नंबरर्स के बटॉकन की शक्तियॉ तहसीलदार को भी प्रदत्त की गई हैं परन्तु राजस्व निरीक्षक को यह शक्तियॉ प्राप्त नहीं है। निगरानी न्यायालय में प्रकरण के प्रचलित हो जाने पर विचारण न्यायालय के प्रकरण की पूर्ण तह खुल जाती है और निगरानी में विचारण न्यायालय में आये समस्त तथ्यों का बारीकी से परीक्षण कर न्यायहित में निर्णय दिया जा सकता है। राजस्व निरीक्षक व्दारा दिनांक 18—9—2008 को ग्राम पड़रिया की भूमि सर्वे क0 301/1 क एंव सर्वे क0 301/2 ख का किया गया बटॉकन एंव नक्शा में किये गये बटॉकन की प्रविष्टि अधिकारिता—विहीन कार्यवाही है जो विधि के प्रभाव से अकृत एंव शून्यवत् है और ऐसे अधिकारिता—विहीन एंव

शून्यवत् आदेश को कभी भी निरस्त किया जा सकता है परन्तु अपर कलेक्टर अशोकनगर व्दारा आदेश दिनांक 22—12—09 पारित करते समय एवं अपर आयुक्त व्दारा आदेश दिनॉक 11.11.11 पारित करते समय इस पर ध्यान नहीं दिया है, जिसके कारण तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 99/09—10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11—11—2011, अपर कलेक्टर अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 48/2008—09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22—12—2009 तथा तहसीलदार अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 9 अ 3/08—09 में पारित आदेश दिनांक 4—8—2009, प्रकरण कमांक 3 अ—3/2008—09 में पारित आदेश दिनांक 24—7—09 एंव राजस्व निरीक्षक अशोकनगर व्दारा दिनॉक 18—9—2008 को ग्राम पड़रिया की भूमि सर्वे क0 301/1 क एंव सर्वे क0 301/2 ख के सम्बन्ध में की गई बटॉकन कार्यवाही एंव बटांकन हो नक्शा प्रविष्टि कार्यवाही त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण कलेक्टर अशोकनगर की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि यदि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में माननीय व्यवहार न्यायालयों से प्रकरण निराकृत हो चुका है, तब मान0 व्यवहार न्यायालयों के आदेश का पालन करते हुये पक्षकारों को श्रवण कर नियमानुसार बटांकन उपरांत नक्शा दुरूस्ती हो कार्यवाही करावें।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर